उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- 16/2020/938/एक-1-2020-रा0-1
लखनऊ: दिनॉक: 21 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), लखनऊ के पत्र संख्या-8165/नेडा-एसई-आईबी वीगाट सो0 फार प्रा0 लि0/151/2020, दिनांक 16.03.2020 के आलोक में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित, 2019 की धारा 90, 94 व 95 में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल मैसर्स आईबी वीगाट इण्डिया, गुरूग्राम, हरियाणा को 10 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम पहरा (कबरई) जनपद, महोबा में कृषकों से 30 वर्ष हेतु लीज पर 50 एकड़ भूमि पट्टे पर प्राप्त किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त संस्था द्वारा विदेशी पूंजी निवेश से संबंधित भारत सरकार के तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नियमों तथा एफ0डी0आई0 व एफ0आई0पी0बी0 के मानकों का अनुपालन प्रशासनिक विभाग-अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्था के क्रेडेंशियल से सम्बन्धित उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग- अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग का होगा।

(3) संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित 2019 की धारा 90, 94 व 95 में वर्णित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(4) पट्टे पर प्राप्त की गयी भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात् सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) कृषकों से भूमि आपसी सहमति से पट्टे पर प्राप्त की जायेगी।

(6) प्रश्नगत पट्टा 30 वर्ष की अवधि हेतु प्रस्तावित है। अतः पट्टा करार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जायेगा।

(7) पट्टेदार द्वारा निजी पट्टा करार का उपयोग किसी विधि न्यायालय में पट्टाकृत भूमि पर कोई स्थाई अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं किया जायेगा।

(8) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सम्बन्धित जिलाधिकारी व प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

आज्ञा से,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-938 (1)/ एक-1-2020-रा0-1 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4- आयुक्त चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
5- जिलाधिकारी, महोबा ।
6- श्री संदीप मिश्रा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स आईबी वीगाट इण्डिया प्रा0 लि0, 225, जे0एम0डी0 इम्पायर, सेक्टर-62, गोल्फ कोर्स एक्सटेंसन रोड, गुरूग्राम, हरियाणा-122101
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।